रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 1985/श्रावण 8, 1907
No. 335] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 1985/SRAVANA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1985

सा॰का॰नि॰ 614(अ)—कोयला खान विनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिये कतिपय विनियमों का प्रारूप, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित के अनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 6 सितम्बर, 1984 में, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० सा॰का॰नि॰ 650 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 1984 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उन व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

और उक्त राजपत्र 6 सितम्बर, 1984 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दिया गया था,

और उक्त प्रारूप पर जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रारूप को उक्त अधिनियम के अधीन गठित खनन बोर्डों को निर्दिष्ट करने के पश्चात् और उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित के अनुसार, उक्त विनियम बनाने की समीचीनता के बारे में और उनकी उपयुक्तता के बारे में उक्त बोर्डों को रिपोर्ट करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कोयला खान विनियम, 1957 में आगे और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कोयला खान विनियम, 1957 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), नियम 3 के उप विनियम (1) में, "प्ररूप 1 में प्रस्तुत किया जायेगा" शब्दों और अंक के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"और उसकी एक प्रति प्रादेशिक निरीक्षक को भेजी जायगी। प्ररूप के साथ एक रेखांकन होगा जिसमें खान की सीमाएं, शैफ्ट या द्वार, निरीक्षक या राजस्व स्टेशन तथा अन्य प्रमुख और स्थलीय विशेषताएं दर्शायी जाएंगी।

परन्तु यह और कि ऐसी खान की बाबत जिसे पहले ही खोल दिया गया हो, ऐसा रेखांकन कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1985 के प्रवृत्त होने के सात दिन के भीतर भेजा जाएगा

परन्तु यह और कि किसी भी खान सीमा में विनियम 107 के उप-विनियम (1) के अनुसार कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उस सीमा को दर्शाते हुए एक रेखांकन उक्त परिवर्तन के साथ 7 दिन के भीतर भेजा जायगा।"

3 उक्त विनियमों के विनियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"8क.–अभिकर्ता की नियुक्ति—(1) खान का स्वामी मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को एक लिखित विवरण भेजेगा जिसमें खान के प्रबन्ध नियंत्रण, अधीक्षण या निदेशन की बाबत खान के स्वामी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पदनाम दर्शाए जाएंगे।

(2) विवरण में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के उत्तरदायित्व और वे विषय भी दर्शाए जाएंगे जिनकी बाबत वह खान के स्वामी की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उक्त विवरण में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों की बाबत ऐसी खान या खानों के समूह के लिए अभिकर्ता समझा जाएगा।

(4) पूर्वोक्त विवरण कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1985 के के प्रवृत्त होने की तारीख से एक मास के भीतर, उन खानों की दशा में भेजे जाएंगे जो पहले ही खोल दी गई है, या पुनःखोली गई है और अन्य मामलों में खान के पुनः खोले जाने की तारीख से एक मास के भीतर भेजा जायगा।

(5) नामों में या पूर्वोक्त विवरण की अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या तबदीली, ऐसा करने की तारीख से सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को लिखित में संसूचित की जाएगी।"।

4 उक्त विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (2) में, "उप-विनियम (1) के अधीन पहले ही यह रिपोर्ट की जा चुकी है तो स्वामी अभिकर्ता या प्रबन्धक उसे मृत्यु की सूचना मिलने के 24 घंटों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को ऐसी मृत्यु सूचना देगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपविनियम (1) के अधीन पहले ही यह रिपोर्ट दी जा चुकी है, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक उसकी सूचना मिलने के 24 घन्टों के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को उसकी सूचना देगा", शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. उक्त विनियमों के विनियम 13 के उपविनियम (1) के प्रथम परन्तुक में "जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित खनन में डिग्री या डिप्लोमा धारण करता हो," "शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 16 के उपविनियम (2) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु बोर्ड ऊपर उल्लिखित किसी भी हैसियत में किसी खुली खान में या कोयला खान से भिन्न खान में या किसी भी खान में जो कि विकास के अनुक्रम में है, प्राप्त व्यावहारिक अनुभव की अवधि के किसी भी भाग को, या खनन संक्रियाओं से संबंधित निरीक्षण, बचाव, अनुसंधान, योजना या किसी अन्य कार्य में लगे रहने के दौरान प्राप्त अनुभव की अवधि के किसी भाग को द्वितीय वर्ग प्रबन्धक प्रमाणपत्र की दशा में एक वर्ष से अनधिक और प्रथम वर्ग प्रबन्धक प्रमाणपत्र की दशा में डेढ़ वर्ष से अनधिक की अवधि तक अनुमोदित कर सकता है।"।

7 उक्त विनियमों के विनियम 21 के उपविनियम (1) में,

(i) "यदि वह ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करता है" शब्दों के स्थान पर "यदि उसके पास ऐसा अनुभव है और वह ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करता है" शब्द रखे जाएंगे,

(ii) उपविनियम (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"परन्तु बोर्ड ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, किसी व्यक्ति को विनियम प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए परीक्षा में या उसके किसी भाग में बैठने से छूट दे सकता है।"।

8 उक्त विनियमों के विनियम 27 के उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(2) (क) खान नियम, 1955 के नियम 29 ख के अनुसार कराई गई चिकित्सीय परीक्षा को भी उपविनियम (1) के प्रयोजन के लिए परीक्षा माना जाएगा।

(ख) प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन किए जाने के लिए आवेदन के साथ खान नियम 1955 के नियम 29ख के आधार पर दिया गया आरोग्य प्रमाण पत्र और पांच रुपये की फीस संलग्न की जाएगी।"।

9. उक्त विनियमों के विनियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"30. परिभाषाएं—इन विनियमों के प्रयोजन के लिए—

(क) खान के सीमा के भीतर सभी उत्खनन और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट सभी परिसर, संयंत्र, मशीनें और संकर्म सामूहिक रूप से खान होंगे;

(ख) किसी खान के 'औसत उत्पादन' पद से खान की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सभी उत्खननों से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल उत्पादन का प्रति मास का औसत अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, 'वित्तीय वर्ष' पद से अप्रैल के प्रथम दिन से मार्च के अन्तिम दिन तक 12 मास की अवधि अभिप्रेत है।"।

10 उक्त विनियमों के विनियम 107 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जायगा, अर्थात् :—

"107.–खान की सीमाओं के निकट कार्यकरण.—(1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक खान की सीमाएं निश्चित रखेगा और उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी ये सीमाएं मुख्य निरीक्षक की लिखित स्पष्ट अनुज्ञा के सिवाय, और ऐसी शर्तों के अधीन रहने के सिवाय जैसी वह अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट करे, परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(2) विनियम 99 के उपविनियम (1) के अधीन सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट दूरी के आधे के बराबर दूरी के भीतर, जो खनन की जा रही सीम की गहराई के बराबर होगा, किसी खान की सीमा के भीतर कोई कार्यकरण नहीं किया जायगा और विवादग्रस्त सीमा की दशा में पार्श्ववर्ती खान के स्वामी द्वारा दावाकृत सीमा उपर्युक्त दूरी के भीतर उस समय तक कोई कार्यकरण नहीं किया जायगा जब तक सीमा को सही करने के बारे में आपसी करार नहीं हो जाए या वह प्रश्न किसी न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित नहीं कर दिया जाए :

परन्तु जहां एक सीम से अधिक सीमों से कार्य किया जाता है, वहां सीम पर लगाया गया बैरियर, जहां तक व्यावहार्य हो, ऊर्ध्वाधर रूप से और विभाओं में भी समान होगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी सीम का कार्यकरण किसी भी कारणवश, बढ़ा दिया जाता है या ऊपर अधिकथित से कम दूरी के भीतर बढ़ा दिया

जाता है वहां मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, स्वामी से ऐसे संरक्षात्मक सङ्कर्म, उतने समय के भीतर जितना वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, सन्निर्मित कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) उपविनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, किसी खान या उसके भाग में कार्यकरण को उपविनियम (2) में अधिकथित से भिन्न कम दूरी के भीतर बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकता है या यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्यकरण किसी विनिर्दिष्ट दूरी से आगे नहीं बढ़ाया जाए।"।

11. उक्त विनियमों के विनियम 191 ग के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"191घ—स्व-रक्षक का प्रयोग, आपूर्ति और अनुरक्षण—(1) कोई भी व्यक्ति तीसरी डिग्री की किसी गैस वाली खान में, और कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1985 के प्रवृत्त होने के क्रमशः एक और तीन वर्ष के पश्चात् क्रमशः किसी द्वितीय और तृतीय डिग्री की गैस वाली खान में तब तक नहीं जाएगा, या काम नहीं करेगा या भूमि के नीचे उसे जाने की या काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जब तक उसे ऐसे प्रकार का, जो मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किया जाए, एक स्व-रक्षक नहीं दे दिया जाता और वह उसे अपने साथ नहीं ले जाता।

(2) यदि ऐसा स्व-रक्षक, प्रयोग के दौरान दुर्घटनावश क्षतिग्रस्त हो जाता है या खराब हो जाता है या विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक भार धारण करने के कारण सेवा योग्य नहीं रह जाता या विनिर्दिष्ट आयु सीमा से अधिक हो जाने पर प्रयोग में लाया जाता है, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक ऐसे स्व-रक्षक को तुरन्त बदलेगा।

(3) ऐसे प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक जिसमें स्व-रक्षकों का प्रयोग किया जाता है —

(क) प्रत्येक समय स्व-रक्षकों का पर्याप्त भंडार रखेगा जिससे कि वे, जब भी आवश्यकता हो, तुरन्त उपलब्ध हों।

(ख) खान पर स्व-रक्षकों की सफाई, अनुरक्षण और निरीक्षण के लिये पर्याप्त व्यवस्थाओं का उपबन्ध करेगा,

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उप-विनियम (1) के अधीन स्व-रक्षक के प्रयोग करने की अपेक्षा की जा सकती है, स्व-रक्षकों के प्रयोग के प्रशिक्षण का ऐसा पाठ्यक्रम पूरा करता है जो मुख्य निरीक्षक द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये।";

12. उक्त विनियमों के विनियम 199 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"199—दुर्घटनास्थल में हस्तक्षेप न करना—(1) जब भी खान में या उसके समीप ऐसी कोई दुर्घटना होती है, जिससे कि किसी व्यक्ति के जीवन की हानि या उसे गंभीर क्षति होती है, तो दुर्घटना-स्थल में मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के, जिसे दुर्घटना की सूचना धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन देना अपेक्षित है, आगमन के पूर्व या उसकी सम्मति के बिना कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब ऐसा हस्तक्षेप या परिवर्तन आगे और दुर्घटना को रोकने के लिये या मृतकों के शवों को हटाने के लिये या किसी व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिये आवश्यक हो या जब दुर्घटना-स्थल पर काम बन्द कर दिये जाने के कारण खान चलाने में गंभीर रूप से अड़चन पड़ती हो :

परन्तु दुर्घटना स्थल पर कार्य उस दशा में पुनः चालू किया जा सकता है जब मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक दुर्घटना के [illegible] के भीतर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने में असफल रहता है।

(2) किसी घातक या गंभीर दुर्घटना वाले दुर्घटना स्थल में किसी भी कारणवश कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन करने से पूर्व दुर्घटना को स्पष्ट करने वाला एक रेखाचित्र और सभी सुसंगत ब्यौरे (दो प्रतियों में) तैयार किये जायेंगे और ऐसे रेखाचित्र पर प्रबन्धक या सहायक प्रबन्धक, सुरक्षा अधिकारी, सर्वेक्षक और कर्मकार निरीक्षक या जहां ऐसा कोई कर्मकार निरीक्षक नहीं है वहां कर्मकारों द्वारा इस निमित्त नाम-निर्देशित कोई कर्मकार, सम्यक रूप से हस्ताक्षर करेगा :

परन्तु रेखाचित्र तैयार करने के पूर्व यदि स्थल को आगे और दुर्घटना रोकने के लिये या किसी व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिये कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन किया जाता है तो रेखाचित्र ऐसा तुरन्त पश्चात् तैयार किया जायेगा और उसमें स्थल में हस्तक्षेप या परिवर्तन करने से पूर्व विद्यमान सभी सुसंगत ब्यौरे दिये जायेंगे।

(3) एक अधिप्रमाणित रेखाचित्र संबंधित खान निरीक्षक को प्रदत्त किया जायेगा या भेजा जायेगा।

199क—आपात योजना—(1) भूमि के नीचे खनित प्रत्येक खान का प्रबन्धक आपात के समय प्रयोग के लिये एक साधारण कार्यवाही योजना तैयार करेगा। योजना में ऐसे प्रत्येक खान के अधिकारी और मुख्य व्यक्तियों के, जिसके अन्तर्गत टेलिफोन परिचालक भी है, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का वर्णन होगा जिससे कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाये कि अग्नि विस्फोट या अन्य आपात की दशा में उसके क्या कर्तव्य होंगे। सभी अधिकारियों और मुख्य व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों को बाबत स्पष्ट निदेश दिये जायेंगे जिससे कि वे ऐसे अवसरों पर, जब तुरन्त और दक्ष कार्यवाही की आवश्यकता हो, परस्पर विरोधी आदेशों और भ्रम से बच सकें। आपात योजना में नियमित अन्तरालों पर नकली पूर्वाभ्यासों की भी व्यवस्था की जायेगी।

(2) प्रबन्धक उसके द्वारा तैयार की गई पूर्वोक्त आपात योजना की एक प्रति कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1985 के प्रवृत्त होने के 60 दिन के भीतर, या ऐसी खान की दशा में जो तत्पश्चात् खोली जाती है या पुनः खोली जाती है, इस प्रकार उसे खोलने या पुनः खोलने के 30 दिन के भीतर प्रादेशिक निरीक्षक को भेजेगा। प्रादेशिक निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी कार्यवाही की योजना को या तो उस रूप में जिसमें वह उसे भेजी गई है या ऐसे परिवर्धनों, परिवर्तनों सहित जो वह ठीक समझे, अनुमोदित कर सकता है और इस प्रकार अनुमोदित कार्यवाही योजना खान में प्रवृत्त की जायेगी।

(3) किसी आपात की सूचना मिलने पर प्रबन्धक और उसकी अनुपस्थिति में स्थल पर उपस्थित प्रधान अधिकारी आपात कार्यवाही योजना को तुरन्त प्रयुक्त करेगा।"

13. उक्त विनियमों के विनियम 201 का लोप किया जायेगा।

14. उक्त विनियमों के विनियम 204 में,—

(i) उपविनियम (1) में "अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित खनन बोर्ड को या यदि उस क्षेत्र के लिये, जिसमें खान या उसका भाग अवस्थित है, कोई खनन बोर्ड गठित नहीं किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को, की जा सकेगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति को की जा सकेगी" शब्द और अंक रखे जायेंगे,

(ii) (क) उपनियम (2) में "खनन बोर्ड या केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखा जायेगा,

(ख) उपविनियम (2) के परन्तुक में "खनन बोर्ड या केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखा जायेगा।

[फा० सं०-66012/1/84-एम I (संशोधन 30)]

टिप्पण मूल विनियम अधिसूचना सं का०आ० 3419 तारीख 24-10-57 के अधीन प्रकाशित किये गये थे, उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किये गये हैं :—

(1) सा०का०नि० 1014, तारीख 1 अगस्त, 1961
(2) सा०का०नि० 1165, तारीख 28 जून, 1963
(3) सा०का०नि० 442, तारीख 7 मार्च, 1964
(4) सा०का०नि० 1603, तारीख 27 अक्तूबर, 1965
(5) सा०का०नि० 1580, तारीख 20 अक्तूबर, 1965
(6) सा०का०नि० 1602, तारीख 27 अक्तूबर, 1965
(7) सा०का०नि० 1789, तारीख 17 नवम्बर, 1965
(8) सा०का०नि० 515, तारीख 29 मार्च, 1966
(9) सा०का०नि० 2012, तारीख 19 दिसम्बर, 1966
(10) सा०का०नि० 1298, तारीख 22 अगस्त, 1967
(11) सा०का०नि० 1473, तारीख 22 सितम्बर, 1967
(12) सा०का०नि० 1554, तारीख 22 अगस्त, 1968
(13) सा०का०नि० 1556, तारीख 14 अगस्त, 1968
(14) सा०का०नि० 1558, तारीख 19 अगस्त, 1968
(15) सा०का०नि० 945, तारीख 31 मार्च, 1969
(16) सा०का०नि० 526, तारीख 17 मार्च, 1970
(17) सा०का०नि० 568, तारीख 7 अप्रैल, 1971
(18) सा०का०नि० 631, तारीख 23 अप्रैल, 1971
(19) सा०का०नि० 359, तारीख 3 मार्च, 1972
(20) सा०का०नि० 877, तारीख 19 जून, 1972
(21) सा०का०नि० 948, तारीख 13 जुलाई, 1972
(22) सा०का०नि० 541, तारीख 14 मई, 1974
(23) सा०का०नि० 1010, तारीख 5 सितम्बर, 1974
(24) सा०का०नि० 1092, तारीख 20 सितम्बर, 1974
(25) सा०का०नि० 1197, तारीख 1 नवम्बर, 1974
(26) सा०का०नि० 512, तारीख 3 अप्रैल, 1975
(27) सा०का०नि० 501, तारीख 26 मार्च, 1975
(28) सा०का०नि० 32, तारीख 16 दिसम्बर, 1978
(29) सा०का०नि० 375, तारीख 19 मार्च, 1980

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1985

G.S.R. 614(E).—Whereas the draft of certain regulations further to amend the Coal Mines Regulations, 1957, was published as required by sub-section (1) of section 59 of the Mines Act. 1952 (35 of 1952), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 6th September, 1984 under the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), No. G.S.R. 650(E), dated the 6th September, 1984, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 6th September, 1984;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 57 of the said Act, the Central Government, after referring the said draft to the Mining Boards constituted under the said Act and after giving such Boards a reasonable opportunity of reporting as to the expediency of making of the said regulations and as to the suitability thereof as required by sub-section (4) of section 59 of the said Act hereby makes the following regulations, further to amend the Coal Mines Regulations, 1975, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coal Mines Regulations, 1957 (hereinafter referred to as the said regulations), in sub-regulation (1) of regulation 3, after the words and figure "Form I", the following shall be inserted, namely :—

"And a copy thereof shall be submitted to the regional inspector. The Form shall be accompanied by a plan showing the boundaries of the mine and the shafts or openings of the mine, trijunction or revenue pillars and other prominent and permanent surface features :

Provided that, in respect of a mine which has already been opened such a plan shall be submitted within sixty days of coming into force of the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1985 :

Provided further that if the boundary of a mine is changed as per sub-regulation (1) of regulation 107, a plan showing the new boundary, shall be submitted within seven days of the said change".

3. After regulation 8 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"8A. Appointment of agent.—(1) The owner of a mine shall submit in writing to the Chief Inspector and the Regional Inspector, a statement showing names and designation of every person authorised to act on behalf of the owner in respect of management, control, supervision or direction of the mine.

(2) The statement shall also show the responsibilities of every such person and the matters in respect of which he is authorised to act on behalf of the owner.

(3) Every such person shall be deemed to be agent for the mine or group of mines, as the case may be, in respect of the responsibilities as specified in such statement.

(4) The statement aforesaid shall be submitted within one month from the date of coming into force of the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1985,

in the case of mines already opened, or reopened as the case may be, and in other cases within one month from the date of opening or reopening of the mine.

(5) Any change, addition or alteration in the names or other particulars of the aforesaid statement shall be reported in writing to the Chief Inspector and the regional inspector within seven days from the date of such change, addition or alteration."

4. In sub-regulation (2) of regulation 9 of the said regulations, for the words and figures, "under sub-regulation (1), the owner, agent or manager shall within 24 hours of his being informed of the death", the words and figures, "under sub-regulation (1) or if an injury other than the serious injury becomes serious, the owner, agent or manager shall within 24 hours of his being informed of the same", shall be substituted.

5. In the proviso to sub-regulation (1) of regulation 13 of the said regulations, the words "holding a degree or diploma in mining approved by the Board in the behalf" shall be deleted.

6. In sub-regulation (2) of regulation 16 of the said regulations, for the proviso the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the Board may approve a part of the period of practical experience which has been obtained in any of the aforementioned capacities in an opencast mine or in a mine other than a coal mine or in any mine which is under development, or a part of the period of the experience gained while engaged in inspection, rescue, research, planning or any other work, connected with mining operations, upto a period not exceeding one year in case of Second Class and one and a half years in case of First Class Manager's Certificate."

7. In sub-regulation (1) of regulation 21 of the said regulations,—

(i) for the words, "if he passes", the words "if he possesses such experience and passes" shall be substituted;

(ii) after sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the Board may, subject to such conditions as it may specify, exempt any person from appearing at the examination or part thereof for the grant of an Exchange Certificate."

8. After sub-regulation (i) of regulation 27 of the said regulations, the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

(2) (a) A medical examination undergone in accordance with rule 29B of the Mines Rules, 1955 shall also be deemed to be an examination for the purpose of sub-regulation (1).

(b) The application for endorsement on a certificate by the Regional Inspector shall be accopanied by the certificate of fitness granted in terms of rule 29B of the Mines Rules, 1955 and a fee of five rupees."

9. For regulation 30 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"30. Definition.—For the purpose of these regulations,—

(a) all excavations within the mine boundary and all premises, plants, machinery and works as specified in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Act shall collectively constitute the mine ;

(b) the expression, "average output" of any mine, means the average per month during the preceding financial year of the total output from all excavations within the specified mine boundaries.

Explanation.—For the purpose of this clause, the expression 'financial year' means a period of twelve months from the first day of April to the last day of March."

10. For regulation 107 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"107. Working near mine boundaries.—(1) The owner, agent or manager of every mine shall have fixed boundaries of the mines and notwithstanding anything contained in subregulation (2), these shall not be changed except with the express permission of the Chief Inspector in writing and subject to such conditions as he may specify therein.

(2) No working shall be made within a distance equal to half the distance as specified in column (5) of table under sub-regulation (4) of regulation 99, corresponding to the depth of the seam being worked, of the boundary of any mine and in case of a disputed boundary no working shall be made within the aforesaid distance of the boundary claimed by the owner of an adjacent mine until such time as a binding agreement has been reached as to the correct boundary or the question has been finally determnated by a court of law :

Provided that, where work is done in more than one seam, the barrier kept at the boundary shall, as far as practicable, be vertically coincident and of the same dimensions :

Provided further that, where the workings of any seam, for any reason, are extended or get extended within any shorter distance than what is laid down herein above, the Chief Inspector may, by an order in writing, require the owner to construct such protective works within such time as he may specify in the order.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit the workings of any mine or part thereof to extend within any workings of any mine or part thereof to extend within any shorter distance than what is laid down in sub-regulation (2) or may require that the said working shall not extend further than a specified distance."

11. After regulation 191C of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"191D. Use, supply and maintenance of self-rescuer.—(1) No person shall go into, work or be permitted to go into or work below-ground in any gassy mine of third degree and after one and three years of the coming into force of the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1985 in any gassy mine of second and third degree respectively unless he is provided with and carries with him a self-rescuer of such type as may be approved by the Chie Inspector by a general or special order in writing.

(2) If such a self-rescuer is accidentally damaged during use or goes out of order or becomes unserviceable on having gained weight in excess of specified limits or having exceeded its specified life or has been used the owner, agent or manager shall immediately replace such self-rescuer.

(3) The owner, agent or manager of every mine where self-rescuers are to be used, shall—

(a) at all times keep sufficient stock of self-rescuers so that they are readily available whenever needed ;

(b) provide, at the mine, adequate arrangements for cleaning, maintenance and inspection of self-rescuers ;

(c) ensure that every person who may be required to use self-rescuer under sub-regulation (1) undergoes a course of training in the use of self-rescuer, as may be specified by the Chief Inspector by a general or special order in writing."

12. For regulation 199 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely :—

"199. Place of accident not to be disturbed.—

(1) Whenever there occurs in or about a mine an accident causing loss of life or serious bodily injury to any person, the place of accident shall not be disturbed or altered before the arrival or without the consent of the Chief Inspector or the inspector to whom notice of the accident is required to be given under sub-section (1) of section 23, unless such disturbance or alteration is necessary to prevent any further accident, to remove bodies of the deceased, or to rescue any person from danger, or unless discontinuance of work at the place of accident would seriously impede the working of the mine :

Provided that where the Chief Inspector or the said inspector fails to inspect the place of accident within seventy-two hours or the time of the accident, work may be resumed at the place of accident.

(2) Before the place of accident involving a fatal or serious accident is disturbed or altered due to any reason whatsoever, a sketch of the site illustrating the accident and all relevant details shall be prepared (in duplicate) and such sketch shall be duly signed by the manager or assistant manager, safety officer, surveyor and the workmen's inspector or, where there is no workmen's inspector, by any work person present at the place of accident. Such sketch shall also be supported by the photograprs of the place of the accident :

Provided that, if the place is disturbed or altered to prevent further accident or rescue persons from danger before the sketch could be prepared, the same shall be prepared immediately thereafter giving all relevant details as existed before the place was disturbed or altered.

(3) One of the authenticated sketches shall be delivered or sent to the concerned inspector of mines.

199A. Emergency plan.—(1) The manager of every mine having workings below ground shall prepare a general plan of action for use in time of emergency. The plan shall outline the duties and responsibilities of each mine official and key men including the telephone operators, so that each person shall know what is expected of him in case fire, explosion or other emergency occurs. All officials and key men shall be thoroughly instructed in their duties so as to avoid contradictory orders and confusion at the time when prompt and efficient action is needed. The emergency plan shall also provide for mock rehearsals at regular intervals.

(2) The manager shall submit a copy of the aforesaid emergency plan prepared by him to the regional inspector, within 60 days of the coming into force of the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1985, or in the case of a mine which is opened or reopened thereafter, within thirty days of such opening or reopening. The Regional Inspector may, by an ordre in writing approved of such action plan, either in the form submitted to him or with such additions and alterations as he may think fit and the action plan so approved shall be enforced at the mine.

(3) On receiving information of any emergency, the Manager and in his absence the principal official present at the surface, shall immediately put the emergency action plan in operation."

13. Regulation 201 of the said regulations shall be omitted.

14. In regulation 204 of the said regulations,—

(i) in sub-regulation (1), for the words "Mining Board constituted under Section 12 of the Act or if no Mining Board has been constituted for the area in which the mine or part thereof is situated, to the Central Government", the words "Committee constituted under section 12 of the Act" shall be substituted ;

(ii) (a) in sub-regulation (2) for the words "the Mining Board or of the Central Government, as the case may be", the

words "the Committee" shall be substituted ;

(b) in the proviso to sub-regulation (2) for the words "the Mining Board or the Central Government, as the case may be", the words "the Committee" shall be substituted.

[No. S-66012/1/84-M.I.]

(Amendment No. 30)

Note.—Principal regulations were published vide Notification No. S.R.O. 3419 dated the 24th October, 1957.

Further amended by—

(1) G.S.R. 1014, dated the 1st August, 1961.

(2) G.S.R. 1165, dated the 28th June, 1963.

(3) G.S.R. 442, dated the 7th March, 1964.

(4) G.S.R. 1603, dated the 27th October, 1965.

(5) G.S.R. 1580, dated the 20th October, 1965.

(6) G.S.R. 1602, dated the 27th October, 1965.

(7) G.S.R. 1789, dated the 17th November, 1965.

(8) G.S.R. 515, dated the 29th March, 1966.

(9) G.S.R. 2012, dated the 19th December, 1966.

(10) G.S.R. 1298, dated the 22nd August, 1967.

(11) G.S.R. 1473, dated the 22nd September, 1967.

(12) G.S.R. 1554, dated the 2nd August, 1968.

(13) G.S.R. 1556, dated the 14th August, 1968.

(14) G.S.R. 1558, dated the 19th August, 1968.

(15) G.S.R. 945, dated the 31st March, 1969.

(16) G.S.R. 526, dated the 17th March, 1970.

(17) G.S.R. 568, dated the 7th April, 1971.

(18) G.S.R. 631, dated the 23rd April, 1971.

(19) G.S.R. 359, dated the 3rd March, 1972.

(20) G.S.R. 877, dated the 19th June, 1972.

(21) G.S.R. 948, dated the 13th July, 1972.

(22) G.S.R. 541, dated the 14th May, 1974.

(23) G.S.R. 1010, dated the 5th September, 1974.

(24) G.S.R. 1092, dated the 20th September, 1974.

(25) G.S.R. 1197, dated the 1st November, 1974.

(26) G.S.R. 512, dated the 3rd April, 1975.

(27) G.S.R. 501, dated the 26th March, 1977.

(28) G.S.R. 32, dated the 16th December, 1978.

(29) G.S.R. 375, dated the 19th March, 1980.

सा०का०नि० .—धातुत्पादक खान विनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) में अपेक्षित के अनुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 6 सितम्बर, 1984 में, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सा०का०नि० 651(अ) तारीख 6 सितम्बर, 1984 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उन व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 6 सितम्बर, 1984 को जन साधारण को उपलब्ध कराया गया था।

और उक्त प्रारूप पर जन-साधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धातुत्पादक खान विनियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम धातुत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धातुत्पादक खान विनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उपविनियम (9) में "21 वर्ष की आयु" अंकों और शब्दों के स्थान पर "20 वर्ष की आयु" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त विनियम के विनियम 3 के उपविनियम (1) में "प्रथम अनुसूची के प्ररूप 1 में प्रस्तुत की जाएगी" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"और उसकी एक प्रति प्रादेशिक निरीक्षक को भेजी जाएगी। प्ररूप के साथ एक रेखांकन होगा जिसमें खान की सीमाएं, शैफ्ट या दर्रा, तिराहे या राजस्व स्तम्भ तथा अन्य प्रमुख और स्थायी स्थलीय विशेषताएं दर्शायी जाएंगी :

परन्तु यह और कि ऐसी खान की बाबत जिसे पहले ही खोल दिया गया हो, ऐसा रेखांकन धातुत्पादक खान (संशोधन) विनियम 1984 के प्रवृत्त होने के साठ दिन के भीतर भेजा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी खान की सीमा में विनियम III के उपविनियम (1) के अनुसार कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उस सीमा को दर्शाते हुए एक रेखांकन उक्त परिवर्तन के सात दिन के भीतर भेजा जाएगा।"।

4. उक्त विनियमों के विनियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8क—अभिकर्ता की नियुक्ति.—(1) खान का स्वामी मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को एक लिखित विवरण भेजेगा जिसमें खान के प्रबन्ध, नियंत्रण, अधीक्षण या निदेशन की बाबत खान के स्वामी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम और पद नाम दर्शाये जाएंगे।

(2) विवरण में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के उत्तरदायित्व और वे विषय भी दर्शाए जाएंगे जिनकी बाबत वह खान के स्वामी की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(3) पूर्वोक्त विवरण धातुत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1985 के प्रवृत्त होने की तारीख से एक मास के भीतर, उन खानों की दशा में भेजे जाएंगे जो पहले ही खोल दी गई हैं या पुनः खोली गई हैं और अन्य मामलों में खान के पुनः खोले जाने की तारीख से एक मास के भीतर भेजा जाएगा।

(4) नामों में या पूर्वोक्त विवरण की अन्य विशिष्टियों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या तब्दीली ऐसा करने की तारीख से सात दिन

के भीतर मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को लिखित में सूचित की जाएगी ।" ।

5. उक्त विनियमों के विनियम 9 के उपविनियम (2) में, "उपविनियम (1) के अधीन पहले ही यह रिपोर्ट दी जा चुकी है तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक उसे मृत्यु की सूचना के मिलने के 24 घंटों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को ऐसी मृत्यु की सूचना देगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "उपविनियम (1) के अधीन पहले ही यह रिपोर्ट दी जा चुकी है या यदि कोई क्षति जो पहले गंभीर क्षति नहीं थी गंभीर हो जाती है, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक उसकी सूचना मिलने के 24 घंटों के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को उसकी सूचना देगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

6. उक्त विनियमों के विनियम 13 के उपविनियम (1) के प्रथम परन्तुक में "जो इस निमित्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित खनन में डिग्री या डिप्लोमा धारण करता हो," शब्दों का लोप किया जायगा ।

7. उक्त विनियमों के विनियम 15 के उपविनियम (1) के खण्ड (क) में, "21 वर्ष की आयु" अंकों और शब्दों के स्थान पर "20 वर्ष की आयु" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

8. उक्त विनियमों के विनियम 16 के उपविनियम (2) में, परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि बोर्ड खनन संक्रियाओं से सम्बन्धित निरीक्षण बचाव, अनुसंधान, योजना या किसी अन्य कार्य में लगे रहने के दौरान प्राप्त अनुभव की अवधि के किसी भाग को अनुमोदित कर सकता है किन्तु इस प्रकार कि पूर्वोक्त अवधि, विनियम 19 के अधीन अनुमोदित कोयला खान के अनुभव की अवधि को सम्मिलित करते हुए, द्वितीय वर्ग कोयला खान की दशा में एक वर्ष और प्रथम वर्ग प्रबन्धक प्रमाणपत्र की दशा में डेढ़ वर्ष से अधिक नहीं हो ।"

9. विनियम 22 के उपविनियम (2) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु बोर्ड, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह विनिर्दिष्ट करे, किसी व्यक्ति को विनियम प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए परीक्षा में या उसके किसी भाग में बैठने से छूट दे सकता है ।" ।

10. उक्त विनियमों के विनियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"29 फोरमैन, मेट, इंजिन चालक, विस्फोटकर्ता या गैस परीक्षण प्रमाणपत्र का निलंबन (1) यदि प्रादेशिक निरीक्षक की राय है कि फोरमैन, मेट, इंजिन चालक, विस्फोटकर्ता या गैस परीक्षण प्रमाणपत्र का धारक अक्षम है या अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा या अवचार का दोषी है तो प्रादेशिक निरीक्षक यह अवधारित करने के लिए जांच कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात अपचारी कहा गया है) ऐसा प्रमाणपत्र धारण करते रहने के योग्य है या नहीं ।

(2) ऐसी जांच के दौरान, वह—

(क) ऐसा साक्ष्य जो अपचारी देना चाहे,

(ख) किसी साक्षी का साक्ष्य जो अपचारी पेश करना चाहे,

(ग) खान के प्रबंधक का साक्ष्य, और

(घ) कोई अन्य साक्ष्य, जिसे प्रादेशिक निरीक्षक आवश्यक या सुसंगत समझता है,

लेखबद्ध करेगा ।

सिवाय तब जब अपचारी पर्याप्त सूचना दिए जाने पर भी हाजिर होने में असफल रहता है, पूर्वोक्त साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लेख-बद्ध किया जायेगा और उसे साक्षियों को (उसे भिन्न जिन्हें उसने स्वयं प्रस्तुत किया है) प्रतिपरीक्षा करने का उचित अवसर दिया जाएगा । प्रादेशिक निरीक्षक भी अपचारी की ओर उसके द्वारा पेश किए गए साक्षियों की प्रतिपरीक्षा कर सकता है ।

(3) यदि जांच के परिणामस्वरूप प्रादेशिक निरीक्षक की राय है कि अपचारी प्रमाणपत्र धारण करने योग्य नहीं है तो वह अपनी जांच पूरी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर बोर्ड के अध्यक्ष को अपने निष्कर्ष, जांच के दौरान लेखबद्ध किए गए साक्ष्य के टिप्पण और अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । अध्यक्ष, ऐसी रिपोर्ट साक्ष्य और अभिलेखों पर विचार करने के पश्चात बोर्ड को आगे कोई निर्देश दिए बिना अपचारी के प्रमाणपत्र को तीन मास से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकता है ।

(4) जहां अध्यक्ष की राय है कि प्रमाणपत्र को तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निलम्बित करना वांछित है, वहां वह प्रादेशिक निरीक्षक के निष्कर्षों, साक्ष्य के टिप्पणों और अन्य सुसंगत अभिलेखों के साथ तदनुसार बोर्ड को सिफारिश करेगा । बोर्ड को सम्बोधित ऐसी संसूचना और साक्ष्य के टिप्पण तथा प्रादेशिक निरीक्षक के निष्कर्ष अपचारी को भी भेजे जाएंगे जो ऐसी प्रतियों की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

(5) बोर्ड, साक्ष्य और अन्य अभिलेख तथा लिखित प्रतिवेदन पर यदि अपचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विचार करने के पश्चात् निलम्बन की अवधि में या तो वृद्धि कर सकता है या, जैसा वह ठीक समझे, प्रमाणपत्र को रद्द कर सकता है ।

(6) जहां कोई प्रमाणपत्र इस विनियम के अधीन निलम्बित या रद्द किया जाता है, वहां बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे प्रमाणपत्र को मंगा सकता है और उस पर उस उपयुक्त पृष्ठांकन कर सकता है ।" ।

11. उक्त विनियमों के विनियम 30 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) (क) खान नियम, 1955 के नियम 29ख के अनुसार कराई गई चिकित्सीय परीक्षा को भी उपविनियम (1) के प्रयोजन के लिये परीक्षण माना जायेगा ।

(ख) प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन किये जाने के लिये आवेदन के साथ खान नियम 1955 के नियम 29ख के आधार पर दिया गया आरोग्य प्रमाणपत्र और पांच रुपये की फीस संलग्न की जायेगी" ।

12. उक्त विनियमों के विनियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"33 — परिभाषाएं — इन विनियमों के प्रयोजन के लिये—

(क) खान की सीमा के भीतर सभी उत्खनन और अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में विनिर्दिष्ट सभी परिसर, संयंत्र, मशीनें और संकर्म सामूहिक रूप से खान होंगे,

(ख) किसी खान के "औसत नियोजन" पद से खान की विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर सभी उत्खननों और विनिर्दिष्ट सहायक सुविधाओं में कुल नियोजन के पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान प्रति दिन का औसत (जो काम किये गये श्रमिक दिनों की संख्या को काम दिनों की संख्या से, जिनमें विश्राम के दिन और अन्य गैर कार्य दिन सम्मिलित नहीं होंगे, विभाजन करके निकाला जायेगा) अभिप्रेत है ।" ।

13. उक्त विनियमों के विनियम III में —

(1) विद्यमान उपविनियम (1) और (2) को उपविनियम (2) और (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन

संख्यांकित उपविनियम (2) के पूर्व निम्नलिखित उपविनियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"(1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक खानों का सामान्य नियोजन करेगा। उपविनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, सामान्य मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के सिवाय परिवर्तित नहीं की जायेगी और उन शर्तों के अधीन रहते हुए परिवर्तित की जायेगी जो मुख्य निरीक्षक अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट करे।"

(ii) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपविनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात —

"परन्तु जहां किसी सीमा का कार्यकरण किसी कारणवश पर्याप्त अविकसित से कम दूरी के भीतर विस्तारित किया जाता है या कराया जाता है वहां मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, स्वामी से ऐसे रक्षात्मक सकर्मों का निर्माण ऐसे समय के भीतर करने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे।"

14. उक्त विनियमों के विनियम 190 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जायेंगे, अर्थात :—

"190. दुर्घटना स्थल.—(1) जब भी खान में या उसके समीप ऐसी कोई दुर्घटना होती है जिससे कि किसी व्यक्ति के जीवन की हानि या उसे गंभीर क्षति होती है, तो दुर्घटना स्थल में मुख्य निरीक्षक निरीक्षक के, जिसे दुर्घटना की सूचना धारा 23 की उपधारा (i) के अधीन देना अपेक्षित है, आगमन के पूर्व या उसकी सम्मति के बिना कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन तभी किया जायेगा जब ऐसा हस्तक्षेप या परिवर्तन आगे और दुर्घटना को रोकने के लिये या मृतकों के शवों को हटाने के लिये या किसी व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिये आवश्यक हो या जब दुर्घटना स्थल पर काम बन्द कर दिये जाने के कारण खान चलाने में गंभीर रूप से अड़चन पड़ती हो :

परन्तु दुर्घटना स्थल पर कार्य उस दशा में पुनः चालू किया जा सकता है जब मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक दुर्घटना के 72 घंटों के भीतर दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करने में असफल रहता है।

(2) किसी घातक या गंभीर दुर्घटना वाले दुर्घटना स्थल में किसी भी कारणवश कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन करने से पूर्व दुर्घटना को स्पष्ट करने वाला एक रेखाचित्र और सभी सुसंगत ब्यौरे (दो प्रतियों में) तैयार किये जायेंगे और ऐसे रेखाचित्र पर प्रबन्धक या सहायक प्रबन्धक, सुरक्षा अधिकारी, सर्वेक्षक और कर्मकार निरीक्षक या जहां ऐसा कोई कर्मकार निरीक्षक नहीं है, वहां कर्मकारों द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई कर्मकार सम्यक रूप से हस्ताक्षर करेगा :

परन्तु रेखाचित्र तैयार करने से पूर्व यदि स्थल को आगे और दुर्घटना रोकने के लिये या किसी व्यक्ति को खतरे से बचाने के लिये कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन किया जाता है तो रेखाचित्र ऐसा करने के तुरन्त पश्चात तैयार किया जायेगा और उसमें स्थल में हस्तक्षेप या परिवर्तन करने से पूर्व विद्यमान सभी सुसंगत ब्यौरे दिये जायेंगे।

(3) एक अधिप्रमाणित रेखाचित्र संबंधित खान निरीक्षक को प्रदत्त किया जायेगा या भेजा जायेगा।

190क — आपात योजना.—(1) भूमि के नीचे खनिज प्रत्येक खान का प्रबन्धक आपात के समय प्रयोग के लिये एक साधारण कार्यवाही योजना तैयार करेगा। योजना में ऐसे प्रत्येक खान के अधिकारी और मुख्य व्यक्तियों के जिनके अंतर्गत टेलिफोन परिचालक भी हैं, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का वर्णन होगा जिससे कि ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि अग्नि विस्फोट या अन्य आपात की दशा में उसके क्या कर्तव्य होंगे। सभी अधिकारियों और मुख्य व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों को बाबत स्पष्ट निदेश दिये जायेंगे जिससे कि वे ऐसे अवसरों पर, जब तुरन्त और दक्ष कार्यवाहियों की आवश्यकता हो परस्पर विरोधी आदेशों और भ्रम से बच सकें। आपात योजना में नियमित अन्तरालों पर नकली पूर्वाभ्यासों की भी व्यवस्था की जायेगी।

(2) प्रबन्धक उसके द्वारा तैयार की गई पर्याप्त आपात योजना की एक प्रति धातुत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1985 के प्रवृत्त होने के 60 दिन के भीतर या ऐसी खान की दशा में जो तत्पश्चात खोली जाती है या पुनः खोली जाती है इस प्रकार से खोलने या पुनः खोलने के 30 दिन के भीतर प्रादेशिक निरीक्षक को भेजेगा। प्रादेशिक निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही की योजना को या तो उस रूप में जिसमें उसे भेजी गई है या ऐसे परिवर्धनों, परिवर्तनों सहित जो वह ठीक समझे, अनुमोदित कर सकता है और इस प्रकार अनुमोदित कार्यवाही योजना खान में प्रवृत्त की जायेगी।

(3) किसी आपात की सूचना मिलने पर प्रबन्धक और उसकी अनुपस्थिति में स्थल पर उपस्थित प्रधान अधिकारी आपात कार्यवाही योजना को तुरन्त प्रवृत्त करेगा।"।

15. उक्त विनियमों के विनियम 192 का लोप किया जायेगा।

16. उक्त विनियमों के विनियम 195 में, —

(i) उपविनियम (i) में "अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित खनन बोर्ड को या यदि उस क्षेत्र के लिये जिसमें खान या उसका भाग अवस्थित है कोई खनन बोर्ड गठित नहीं किया गया है तो केन्द्रीय सरकार को, की जा सकेगी" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति को की जा सकेगी" शब्द और अंक रखे जायेंगे;

(ii) (क) उपनियम (2) में "खनन बोर्ड या केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखा जायेगा ;

(ख) उपविनियम (2) के परन्तुक में "खनन बोर्ड या केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "समिति" शब्द रखा जायेगा।

[सं. एस- 66012/2 /84- एम- I/ (संशोधन 22)]
एस. के. नारायण, अवर सचिव

टिप्पण : मूल विनियम अधिनियम सं. सा. का. नि. 337 तारीख 11 मार्च, 1961 के अधीन प्रकाशित किये गये थे, उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किये गये हैं :—

(1) सा. का. नि. 441, तारीख 7 मार्च, 1964।
(2) सा. का. नि. 946, तारीख 23 जून, 1964।
(3) सा. का. नि. 1581, तारीख 21 अक्तूबर, 1965।
(4) सा. का. नि. 1604, तारीख 24 अक्तूबर, 1965।
(5) सा. का. नि. 1359, तारीख 26 अगस्त, 1966।
(6) सा. का. नि. 1701, तारीख 31 अक्तूबर, 1966।
(7) सा. का. नि. 1739, तारीख 9 नवम्बर, 1966।
(8) सा. का. नि. 1370, तारीख 30 अगस्त, 1967।
(9) सा. का. नि. 1472, तारीख 21 सितम्बर, 1967।
(10) सा. का. नि. 1555, तारीख 14 अगस्त, 1968।
(11) सा. का. नि. 1016, तारीख 16 अप्रैल, 1969।
(12) सा. का. नि. 2293, तारीख 2 सितम्बर, 1969।
(13) सा. का. नि. 527, तारीख 17 मार्च, 1970।
(14) सा. का. नि. 949, तारीख 10 जून, 1970।
(15) सा. का. नि. 917, तारीख 13 जुलाई, 1972।
(16) सा. का. नि. 540, तारीख 14 मई, 1974।
(17) सा. का. नि. 1009, तारीख 5 सितम्बर, 1974।
(18) सा. का. नि. 109., तारीख 20 सितम्बर, 1974।
(19) सा. का. नि. 513, तारीख 4 अप्रैल, 1977।
(20) सा. का. नि. 308, तारीख 20 फरवरी, 1977।
(21) सा. का. नि. 502, तारीख 26 मार्च, 1977।

G.S.R. 615(E).—Whereas the draft of certain regulations further to amend the Metalliferous Mines Regulations, 1961 was published as required by sub-section (1) of section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 6th September, 1984, with the notification of Government of India in the then Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), No. G.S.R. 651(E). dated the 6th September, 1984, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of three months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 6th September, 1984;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 57 read with sub-section (4) of section 59 of the said Act, the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the Metalliferous Mines Regulations, 1961, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In [illegible] regulation 2 of the Metallife[illegible] 1961 (hereinafter referred to as the said regulation), for the words and figure "age of 21 years", the words and figure "age of 20 years" shall be substituted.

3. In sub-regulation (1) of regulation 3 of the said regulations, after the words "First Schedule", the following shall be inserted, namely :—

"and a copy thereof shall be submitted to the regional inspector. The form shall be accompanied by a plan showing the boundaries of the mine and the shafts or openings of the mine, trijunction or revenue Pillars and other prominent and permanent surface features :

Provided that, in respect of a mine which has already been opened such a plan shall be submitted within sixty days of coming into force of the Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 1985 :

Provided further that if the boundary of a mine is changed as per sub-regulation (1) of regulation 111 a plan showing the boundry shall be submitted within seven days of the said change."

4. After regulation 8 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely :—

"8A. Appointment of agent.—(1) The owner of a mine shall submit in writing to the Chief Inspector and the Regional Inspector, a statement showing name and designation of every person authorised to act an agent on behalf of the owner of a mine in respect of management, control, supervision or direction of the mine.

(2) The statement shall also show the responsibilities of every such person and the matters in respect of which he is authorised to act on behalf of the owner of a mine.

(3) The statement aforesaid shall be submitted within one month from the date of coming into force of the Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 1985, in the case of mines already opened or reopened as the case may be, and in other cases within one month from the date of opening or reopening of the mine.

(4) Any change, addition or alteration in the names or other particulars of the aforesaid statement shall be reported in writing to the Chief Inspector and the Regional Inspector within seven days from the date of such change, addition or alteration."

5. In sub-regulation (2) of regulation 9 of the said regulations, for the words "under sub-regulation (1), the owner, agent or manager shall within 24 hours of his being informed of the death,", the words "under sub-regulation (1) or if an injury other than the serious injury becomes serious, the owner, agent or manager shall within 24 hours of his being informed of the same," shall be substituted.

6. In the first proviso to sub-regulation (1) of regulation 13 of the said regulations, the words "holding a degree or diploma in mining approved by the Board in this behalf" shall be omitted.

7. In clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 15 of the said regulations, for the words and figures "21 years of age", the words and figure, "20 years of age" shall be substituted.

8. In sub-regulation (2) of regulation 16 of the said regulations after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided further that the Board may approve a part of the period of the experience gained while engaged in inspection, rescue, research, planning or any other work, connected with mining operations, so however that, the aforesaid period shall not, inclusive of the period of experience in coal mines approved under regulation 19, exceed one year in case of a second class coal and one and half years in case of First Class Manager's Certificate."

9. In sub-regulation (2) of regulation 22, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the Board may subject to such conditions as it may specify, exempt any persons from appearing at the examination or part thereof, for the grant of an Exchange Certificate."

10. For regulation 29 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"29. Suspension of Certificate of Foreman, Mate, Engine-driver, Blaster or Gas-testing.—(1) If the regional inspector is of the opinion that the holder of a certificate of Foreman, Mate, Engine-driver, Blaster or Gas-testing is incompetent or is guilty of negligence or misconduct in the performance of his

duties, he may hold an enquiry to determine whether or not such a person (hereinafter referred to as the delinquent) is fit to continue to hold such certificate.

(2) During such enquiry he shall record, —

(a) any evidence that the delinquent may like to give;

(b) the evidence of any witness that the delinquent may like to produce ;

(c) the evidence of the Manager of the mine; and

(d) any other evidence that may be considered necessary or relevant by the regional inspector.

Unless the delinquent fails to be present inspite of sufficient notice, the evidence aforesaid shall be recorded in the presence of the delinquent and he shall be given a reasonable opportunity to cross-examine the witnesses (other than those produced by him). The regional inspector also may cross-examine the delinquent and the witnesses produced by him.

(3) If as a result of the enquiry the regional inspector is of the opinion that the delinquent is not fit to hold the certificate, he shall within fifteen days from the date of the conclusion of his enquiry, submit a report to the Chairman of the Board together with his findings, notes of evidence recorded during the enquiry and other relevant records. After considering such report, evidence and records, the Chairman may without any further reference to the Board suspend the certificate of the delinquent for a period not exceeding three months.

(4) Where the Chairman is of the opinion that the suspension of the certificate for a period exceeding three months or its cancellation is called for, he shall recommend to the Board accordingly together with the findings of the Regional Inspector, the notes of evidence and other relevant records. A copy of such communication addressed to the Board together with the copies of the notes of evidence and the findings of the regional inspector shall also be sent to the delinquent who may submit his written representation within thirty days from the date of receipt of such copies.

(5) The Board may, after considering the evidence and other records and the written representation, if any, submitted by the delinquent, either increase the period of suspension or cancel the certificate as it deems fit.

(6) Where a certificate is suspended or cancelled under this regulation, the Chairman of the Board may call for such certificate and make suitable endorsement thereon.".

11. For sub-regulation (2) of regulation 30 of the said regulations, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) (a) A medical examination undergone in accordance with rule 29B of the Mines Rules, 1955 shall also be deemed to be an examination for the purpose of sub-regulation (1).

(b) The application for endorsement on a certificate by the regional inspector shall be accompanied by the certificate of fitness granted in terms of rule 29B of the Mines Rules, 1955 and a fee of five rupees.".

12. For regulation 33 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

"33. Definition.—For the purpose of these regulations, —

(a) all excavations within the mine boundary and all premises, plants, machinery and works as specified in clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Act shall collectively constitute the mine;

(b) the expression, "average employment" of any mine, means the average per day during the preceding quarter of the total employment in all excavations and specified ancillary facilities within the specified mine boundaries (obtained by dividing the number of man days worked by the number of working days excluding the rest days and other non-working days).".

13. In regulation 111 of the said regulations :—

(i) the existing sub-regulations (1) and (2) shall be renumbered as sub-regulations (2) and (3) respectively and before sub-regulation (2) so re-numbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(1) The owner, agent or manager of every mine shall fix the boundaries of the mines. Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2), the boundaries shall not be changed except with the permission of the chief inspector in writing and subject to such conditions as he may specify therein."

(ii) after sub-regulation (2) so re-numbered, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that, where the workings of any seam, for any reason, are extended or get extended within any shorter distance than what is laid down hereinabove, the Chief Inspector may, by an order in writing, require the owner to construct such protective works within such time as he may specify in the order.".

14. For regulation 190 of the said regulations, the following regulations shall be substituted, namely :—

"190. Place of accident.—(1) whenever an accident occurs in or about a mine causing loss of life or serious bodily injury to any person, the place of accident shall not be disturbed or altered before the arrival or without the consent of the Chief Inspector or the inspector to whom notice of the acci-

dent is required to be given under sub-section (1) of section 23 of the Act unless such disturbance or alteration is necessary to prevent any further accident, to remove bodies of the deceased, or to rescue any person from danger, or unless discontinuance of work at the place of accident would seriously impede the working of the mine :

Provided that the work may be resumed at the place of accident in case the chief inspector or the inspector fail to inspect the place of accident within seventytwo hours.

(2) Before the place of accident involving a fatal or serious accident is disturbed or altered due to any reason whatsoever, a sketch of the site illustrating the accident and all relevant details shall be prepared (in duplicate) and such sketch shall be duly signed by the manager or assistant manager, safety officers, surveyor and the workmen's inspector or, where there is no workmen's Inspector by a workperson nominated by the workers in this behalf :

Provided that, if the place is disturbed or altered to prevent further accident or rescue persons from danger before the sketch could be prepared, the same shall be prepared immediately thereafter giving all relevant details as existed before the place was disturbed or altered.

(3) One of the authenticated sketches shall be delivered or sent to the concerned inspector of Mines.

190A. Emergency plan.—(1) The manager of every mine having workings below ground shall prepare a general plan of action for use in time of emergency. The plan shall outline the duties and responsibilities of each mine official and men including the telephone operators, so that each person shall know his duties in case fire, explosion or other emergency occurs. All officials and key men shall be thoroughly instructed in their duties so as to avoid contradictory orders and confusion at the time when prompt and efficient action is needed. The emergency plan shall also provide for mock rehearsals at regular intervals.

(2) The manager shall submit a copy of the aforesaid emergency plan prepared by him to the regional inspector, within 60 days of the coming into force of the Metalliferous Mines (Amendment) Regulations, 1985, or in the case of a mine which is opened or re-opened thereafter, within 30 days of such opening or re-opening. The regional inspector may, by an order in writing approve of such action plan, either in the Form submitted to him or with such additions and alterations as he may think fit, and the action plan so approved shall be enforced at the mine.

(3) On receiving information of any emergency, the manager and in his absence the principal official present at the surface, shall immediately put emergency action plan in operation.".

15. Regulation 192 of the said regulations shall be omitted.

16. In regulation 195 of the said regulations,—

(i) in sub-regulation (1), for the words and figure "Mining Board constituted under section 12 of the Act or, if no Mining Board has been constitued for the area in which the mine or part thereof is situated, to the Central Government", the words and figure "Committee constituted under section 12 of the Act" shall be substituted;

(ii) (a) In sub-regulation (2) for the words "the Mining Board or of the Central Government, as the case may be", the words "the Committee" shall be substituted;

(b) in the proviso to sub-regulation (2) for the words "the Mining Board or the Central Government, as the case may be", the words "the Committee", shall be substituted.

[No. S-66012|2|84-M.I|(Amendment No. 22)]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

NOTE :—Principal regulations were published vide notification No. G.S.R. 337, dated the 11th March, 1961.

Further amended by —

(1) G.S.R. 441, dated the 7th March, 1964
(2) G.S.R. 946, dated the 23rd June, 1964
(3) G.S.R. 1581, dated the 21st October, 1965
(4) G.S.R. 1604, dated the 24th October, 1965
(5) G.S.R. 1359, dated the 26th August, 1966
(6) G.S.R. 1701, dated the 31st October, 1966
(7) G.S.R. 1739, dated the 9th November, 1966
(8) G.S.R. 1370, dated the 30th August, 1967
(9) G.S.R. 1472, dated the 21st September, 1967
(10) G.S.R. 1555, dated the 14th August, 1968
(11) G.S.R. 1016, dated the 16th April, 1969
(12) G.S.R. 2293, dated the 2nd September, 1969
(13) G.S.R. 527, dated the 17th March, 1970
(14) G.S.R. 949, dated the 10th June, 1970
(15) G.S.R. 947, dated the 13th July, 1972
(16) G.S.R. 540, dated the 14th May, 1974
(17) G.S.R. 1009, dated the 5th September, 1974
(18) G.S.R. 1093, dated the 20th September, 1974
(19) G.S.R. 513, dated the 4th April, 1975
(20) G.S.R. 308, dated the 20th February, 1977
(21) G.S.R. 502, dated the 26th March, 1977.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985